



मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

2018-2019



प्रशासनिक प्रतिवेदन



नागलवाड़ी (जिला बड़वानी) में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने
नागलवाड़ी उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना निर्माण के लिये भूमिपूजन किया (26 फरवरी 2019)।



सोनकच्छ (जिला देवास) में नर्मदा कालीसिंध लिंक उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना प्रथम चरण का मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ द्वारा भूमिपूजन (26 फरवरी 2019)।



मध्यप्रदेश शासन

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष-2018-2019

नर्मदा घाटी विकास विभाग

EAO/RS

मध्यप्रदेश शासन वर्ष 2018 - 2019

नर्मदा घाटी विकास विभाग

विभागीय मंत्री	श्री लाल सिंह आर्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनांक 11.12.2018 तक श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल (कैबिनेट मंत्री) दिनांक 25.12.2018 से निरंतर
अपर मुख्य सचिव	श्री रजनीश वैश, आई.ए.एस. दिनांक 21.01.2019 तक
प्रमुख सचिव	श्री पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस. दिनांक 21.01.2019 से निरंतर
उप सचिव	श्रीमती प्रतिभा ढोरे दिनांक 06.07.2017 से निरन्तर

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

अध्यक्ष	श्री राकेश साहनी (कैबिनेट मंत्री दर्जा) दिनांक 16.07.2015 से 22.02.2019 तक श्री सुधि रंजन मोहंती, मुख्य सचिव 23.02.2019 से निरंतर
उपाध्यक्ष	श्री रजनीश वैश, आई.ए.एस. दिनांक 21.01.2019 तक श्री पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस. दिनांक 21.01.2019 से 25.02.2019 तक श्रीमती गौरी सिंह, आई.ए.एस. 25.02.2019 से 14.03.2019 तक श्री पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस. 14.03.2019 से निरंतर

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
भाग-एक		
1.0	नर्मदा	1
1.1	नर्मदा घाटी	1
1.2	नर्मदा कछार में आने वाले जिले	1
1.3	विभाग का गठन	2
1.4	नर्मदा नियंत्रण मण्डल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	2
1.5	नर्मदा नियंत्रण मण्डल की संरचना	2
1.6	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की संरचना	3
1.7	विभाग के दायित्व	3
1.8	विभागीय दायित्वों की पृष्ठ-भूमि	3
1.9	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय की प्रशासकीय संरचना	5
1.10	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचनायें तथा कार्य	6
1.11	प्राधिकरण अंतर्गत मैदानी संरचनायें	7
1.12	प्रशासन शाखा के कार्य	11
भाग-दो		
2.0	परियोजनाएं	12
2.1	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की परियोजनाएं	12
2.2	निर्मित परियोजनाएं	12
2.3	निर्मित परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण	13
2.4	निर्माणाधीन परियोजनाएं	14
2.5	निर्माणाधीन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण	16
2.6	प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं	24
2.7	प्रस्तावित परियोजनाएं	24
भाग-तीन		
3.0	बजट	25
3.1	वर्ष 2018-19 के लिये उपलब्ध बजट एवं व्यय	25
भाग-चार		
4.0	परियोजनाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य	28
4.1	पुनर्वास	28
4.2	जेण्डर बिन्दु	29
4.3	पर्यावरण	30
4.4	वन्य प्राणी संरक्षण	30
4.5	मत्स्य पालन	30
4.6	जलग्रहण क्षेत्र उपचार	31

4.7	कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम	32
4.8	जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन	32
4.9	स्वास्थ्य कार्ययोजना	34

भाग-पांच

5.0	परियोजनाओं का वित्तीय प्रबंधन	35
5.1	नाबार्ड ऋण सहायता	35
5.2	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	36

भाग-छः

6.0	विभाग के विशेष प्रयास	37
6.1	नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना	37
6.2	नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना	37
6.3	नर्मदा कालीसिंध लिंक परियोजना	37
6.4	नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना	38
6.5	नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना	38
6.6	नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर परियोजना	38

भाग-सात

7.0	उपलब्धियां एवं भावी कार्यक्रम	39
7.1	सिंचाई की उपलब्धि	39
7.2	विद्युत उत्पादन	40
7.3	बजट प्रावधान तथा व्यय	41
7.4	वचन पत्र	41

भाग-आठ

8.1	जल उपयोग के लिये विभाग की नवाचारी रणनीति	42
-----	--	----

भाग - एक

1.0 नर्मदा

नर्मदा नदी मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले में समुद्रतल से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक स्थान से निकलती है। इस स्थान से निकलकर लगभग 1312 कि.मी. की दूरी तक प्रवाहमान होकर गुजरात में खम्बात की खाड़ी से अरब सागर में समाहित होती है। नर्मदा अनुपपुर, डिण्डोरी, मण्डला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खण्डवा, खरगोन, धार, अलीराजपुर और बड़वानी जिलों से बहती हुई मध्यप्रदेश में 1077 कि.मी. की दूरी तय करती है। इसके बाद 35 कि.मी. मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर तथा 39 कि.मी. महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बहती है। शेष 161 कि.मी. गुजरात के नर्मदा और भरुच जिले से बहती हुई भरुच से 50 कि.मी. दूर खम्बात की खाड़ी से अरब सागर में समाहित हो जाती है।

नर्मदा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली भारत की एकमात्र बड़ी नदी है। नर्मदा की 41 मुख्य सहायक नदियां हैं। इनमें से 19 सहायक नदियां दांये तट से तथा 22 सहायक नदियां बांये तट से नर्मदा में मिलती हैं। कुल 41 सहायक नदियों में से 39 सहायक नदियां मध्यप्रदेश में हैं। केवल 2 सहायक नदियां नर्मदा से गुजरात में मिलती हैं।

1.1 नर्मदा घाटी

नर्मदा कछार क्षेत्र में मध्यप्रदेश के 25, गुजरात के 5, छत्तीसगढ़ के 2 और महाराष्ट्र का 1 जिला आता है। नर्मदा का कुल कछार क्षेत्र 98796 वर्ग कि.मी. है, कछार का 85859 वर्ग कि.मी. क्षेत्र (87 प्रतिशत) मध्यप्रदेश में है। शेष कछार क्षेत्र में से 1538 वर्ग कि.मी. महाराष्ट्र राज्य और 11399 वर्ग कि.मी. गुजरात में है। नर्मदा कछार में औसत वार्षिक वर्षा 112 से.मी. है।

1.2 नर्मदा कछार में आने वाले जिले

नर्मदा कछार के जिलों का प्रदेशवार विवरण इस प्रकार है :-

प्रदेश का नाम	जिले का नाम
मध्यप्रदेश	अनुपपुर, शहडोल, डिण्डोरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, रायसेन, सीहोर, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर
गुजरात	पंचमहाल, बड़ोदरा, नर्मदा, भरुच, सूरत
छत्तीसगढ़	राजनांदगांव, कवर्धा
महाराष्ट्र	धूलिया

1.3 विभाग का गठन

आरम्भ में नर्मदा कछार सहित मध्यप्रदेश के सभी नदी कछारों में जलसंसाधन परियोजनाओं के निर्माण का दायित्व जल संसाधन विभाग के अंतर्गत था। नर्मदा घाटी के विकास पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा जुलाई 1981 में पृथक नर्मदा घाटी विकास विभाग का गठन किया गया है।

1.4 नर्मदा नियंत्रण मण्डल/नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

नर्मदा घाटी विकास के लक्ष्यों को समय-सीमा में प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा नियंत्रण मण्डल तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। नर्मदा घाटी विकास विभाग के संकल्प क्र. 500.2- नघावि- सत्ताईस 83 दिनांक 16 जुलाई 1985 के द्वारा गठित नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास विभाग की कार्यकारी इकाई है जो नर्मदा नियंत्रण मण्डल के मार्गदर्शन में कार्य करती है।

1.5 नर्मदा नियंत्रण मण्डल की संरचना

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन | - | अध्यक्ष |
| 2. मंत्री, नर्मदा घाटी विकास विभाग | - | उपाध्यक्ष |
| 3. निम्नलिखित विभागों के प्रभारी मंत्री, नियंत्रण मण्डल के सदस्य हैं :- | | |
| ● जल संसाधन विभाग | | |
| ● पर्यावरण विभाग | | |
| ● ऊर्जा विभाग | | |
| ● लोक निर्माण विभाग | | |
| ● कृषि विभाग | | |
| ● वन विभाग | | |
| ● वित्त विभाग | | |
| ● राजस्व विभाग | | |
| 4. मुख्य सचिव | - | सदस्य |
| 5. अध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण | - | सदस्य |
| 6. उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण | - | सदस्य |
| 7. सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग | - | सदस्य |
| 8. सचिव, जल संसाधन विभाग | - | सदस्य |
| 9. सचिव, ऊर्जा विभाग | - | सदस्य |
| 10. सचिव, लोक निर्माण विभाग | - | सदस्य |
| 11. सचिव, वित्त विभाग | - | सदस्य |

- | | | | |
|-----|--|---|-----------------|
| 12. | मुख्य अभियन्ता, नर्मदा घाटी विकास विभाग | - | सचिव |
| 13. | सदस्य (वित्त), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण | - | वित्तीय सलाहकार |

1.6 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की संरचना

1. अध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष
3. सदस्य (अभियांत्रिकी)
4. सदस्य (ऊर्जा)
5. सदस्य (वित्त)
6. सदस्य (पुनर्वास)
7. सदस्य (पर्या. एवं वन)
8. सचिव

निम्नलिखित अधिकारी प्राधिकरण के पदेन सदस्य हैं

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग
2. कृषि उत्पादन आयुक्त म.प्र.
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग
4. सचिव, वित्त विभाग
5. सचिव, वन विभाग
6. सचिव, ऊर्जा विभाग
7. सचिव, पर्यावरण विभाग
8. सचिव, राजस्व विभाग
9. सचिव, लोक निर्माण विभाग
10. सचिव, जल संसाधन विभाग

1.7 विभाग के दायित्व

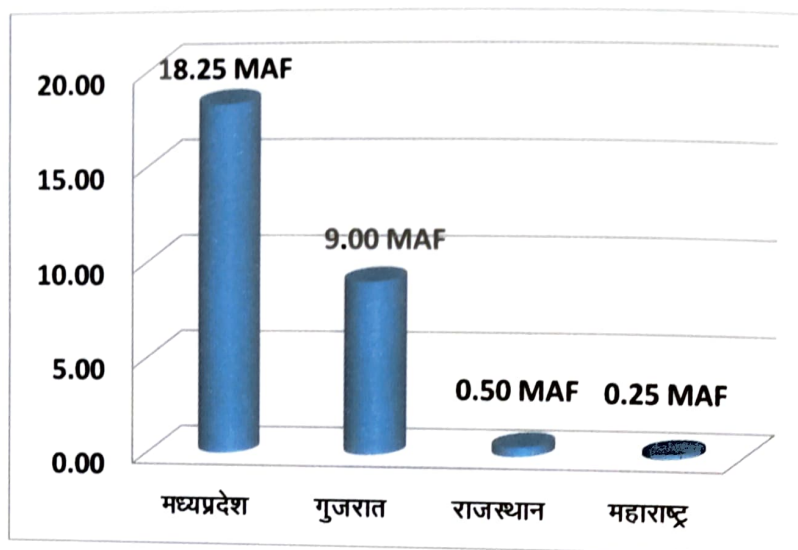
न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवॉर्ड अनुसार जल के उपयोग के लिये क्रियान्वित परियोजनाओं के सर्वेक्षण, परियोजना प्रतिवेदन बनाने, परियोजनाओं के निर्माण पूर्व डूब प्रभावित आबादी के पुनर्वास, पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण, पुरातत्व आदि से संबंधित मापदण्डों का परिपालन और निर्माण के लिये भारत सरकार के संबंधित विभागों और संस्थाओं से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने का दायित्व विभाग का है।

1.8 विभागीय दायित्वों की पृष्ठभूमि

मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के मध्य नर्मदा कछार के जल बटवारे के लिये भारत सरकार द्वारा सन् 1968 में गठित नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 10 वर्ष लंबी अवधि की सुनवाई के बाद सन्

1979 में चारों राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया। न्यायाधिकरण द्वारा किया गया जल बंटवारा इस प्रकार है-

मध्यप्रदेश	-	18.25 मिलियन एकड़ फीट (एम.ए.एफ.)
गुजरात	-	9.00 एम.ए.एफ.
महाराष्ट्र	-	0.25 एम.ए.एफ.
राजस्थान	-	0.50 एम.ए.एफ.
कुल	-	28.00 एम.ए.एफ.



नर्मदा जल आवंटन- ग्राफिक प्रदर्शन

न्यायाधिकरण द्वारा संबंधित राज्यों को आवंटित जल का पुनरीक्षण अवॉर्ड घोषित होने के 45 वर्ष के पश्चात् अर्थात् दिसम्बर 2024 के बाद किये जाने का प्रावधान है। इस कारण जल के उपयोग से संबंधित परियोजनाओं का निर्माण वर्ष 2024 तक पूरा करना लक्षित है।

मध्यप्रदेश द्वारा विभिन्न प्रयोजन हेतु प्रस्तावित नर्मदा जल की मात्रा का विवरण निम्नानुसार है -

क्षेत्र	परियोजनाओं से उपयोग होने वाले जल की मात्रा (एम.ए.एफ.)	प्रस्तावित सिंचाई (लाख हेक्टेयर)
सिंचाई सेक्टर (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं जल संसाधन विभाग)	16.75	27.50
औद्योगिक उपयोग	0.743	-
घरेलू/नगर पालिक उपयोग	0.757	-
योग	18.25	27.50

नर्मदा जल उपयोग की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है-

विभाग	वर्तमान जल उपयोग (एम.ए.एफ.)
नर्मदा घाटी	2.70
जल संसाधन	3.66
पीएचई एवं उद्योग	0.45
कृषकों द्वारा सीधे नदी से पम्पस द्वारा उपयोग	2.70
कुल	9.51

शेष जल के उपयोग के लिये विभाग द्वारा योजनाबद्ध कार्यवाही की जा रही है। 5.78 एम.ए.एफ. के लिए निर्माण कार्य जारी है, 1.49 एम.ए.एफ. के लिये योजनाएं स्वीकृत हैं एवं 2.87 एम.ए.एफ. के लिये योजनाएं चिन्हित हैं। वित्तीय उपलब्धता के अनुसार कार्य लिये जायेंगे।

1.9 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय की प्रशासकीय संरचना

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय की प्रशासकीय संरचना के अंतर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच पूर्णकालिक सदस्य हैं। सदस्यों के अधीन विभिन्न कार्य इकाईयां निम्नानुसार कार्यरत हैं :-

सदस्य (अभियांत्रिकी)

- सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण
- कमाण्ड क्षेत्र विकास

सदस्य (पुनर्वास)

- भू-अर्जन तथा पुनर्वास
- लोक निर्माण
- नगर तथा ग्राम निवेश
- आदिम जाति कल्याण
- समाज विज्ञान
- पुरातत्व
- विधि
- सांख्यिकी
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
- जनसम्पर्क

सदस्य (पर्यावरण एवं वन)

- पर्यावरण तथा वन
- कृषि/कृषि-वानिकी/जल ग्रहण क्षेत्र उपचार
- मत्स्य विकास

- स्वास्थ्य
- वन्य प्राणी संरक्षण

सदस्य (वित्त)

- वित्त/बजट/ऑडिट

सदस्य (ऊर्जा)

- जल विद्युत ऊर्जा अभियांत्रिकी

1.10 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचनायें तथा कार्य

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचनायें इस प्रकार हैं -

अभियांत्रिकी संरचनायें

क्र.	संरचना	मुख्य कार्य
1.	मुख्य अभियंता इं.सा. परियोजना (नहरें) सनावद	इंदिरा सागर परियोजना (नहर), पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना, अपरवेदा परियोजना, लोअर गोई परियोजना, कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना, मोरण्ड-गंजाल परियोजना, अपर बेदा आरबीसी। माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं - छैगांवमाखन, बिस्तान, छीपानेर, भीकनगांव - बिन्जलवाड़ा, चौड़ी जामनिया, बलकवाड़ा, जावर, अम्बारोड़िया, हरसूद, पाटी, नागलवाड़ी, पिपरी, कोदवार, पामाखेड़ी, किल्लौद, भुरलाय, पुनासा विस्तार, नर्मदा पार्वती लिंक, खालवा एवं प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।
2.	मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजनाएं, इन्दौर	मान, जोबट परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना का नहर कार्य तथा नर्मदा - क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक परियोजना, नर्मदा-मालवा -गंभीर लिंक परियोजना। माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाएं- अलीराजपुर, बलवाड़ा, सिमरोल अम्बाचंदन, आईएसपी कालीसिंध लिंक (प्रथम एवं द्वितीय चरण), नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना, नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदापुर, बदनावर। अन्य कार्य- उज्जैनी-देवास-उज्जैन पाइप लाइन एवं प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।
3.	मुख्य अभियंता अपर नर्मदा जोन, जबलपुर	बरगी व्यपवर्तन परियोजना, ढीमरखेड़ा एवं रानी दुर्गावती एमआईपी एवं प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।
4.	मुख्य अभियंता रा.अ.बा. लोधी सागर परियोजना जबलपुर	बरगी बांध तथा बायीं तट नहर का कार्य, हालोन, दुधी, शक्कर एवं चिकी माईक्रो इरिगेशन परियोजना एवं प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।
5.	मुख्य अभियंता ऊर्जा भोपाल	जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एवं प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।
6.	मुख्य अभियंता लोक निर्माण भोपाल	पुनर्वास स्थलों के सिविल निर्माण कार्य, परियोजना क्षेत्र में सड़कों/पुलों का निर्माण (इंदिरा सागर परियोजना एवं ओंकारेश्वर परियोजना को छोड़कर) एवं प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।

क्र.	संरचना	मुख्य कार्य
7.	मुख्य अभियंता विद्युत/यांत्रिकीय भोपाल	विद्युत एवं यांत्रिकी से संबंधित कार्य एवं प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य।
पुनर्वास संरचना		
1.	आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) इंदौर	सरदार सरोवर, मान, जोबट, अपरबेदा, लोअरगोई परियोजनाओं से संबंधित भू-अर्जन एवं पुनर्वास का कार्य। इंदिरा सागर परियोजना तथा ओंकारेश्वर परियोजना के कमाण्ड एरिया विकास संबंधित कार्य।
पर्यावरण एवं वन संरचनायें		
1.	वन संरक्षक क्ष.व. एवं ज.क्षे.उ. भोपाल	बांध निर्माण से डूब में आने वाले वन क्षेत्रों के व्यपवर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं जल ग्रहण क्षेत्र उपचार संबंधित।
2.	वन संरक्षक (वन्य-प्राणी) भोपाल	प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर के तहत होने वाले वन्यप्राणी संरक्षण से संबंधित।
3.	संचालक जलग्रहण क्षेत्र उपचार भोपाल	इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर एवं सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत जल ग्रहण क्षेत्र उपचार/कमाण्ड एरिया का विकास संबंधित।

1.11 प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचनाएं

प्राधिकरण स्तर पर सदस्य (अभियांत्रिकी), सदस्य (पुनर्वास), सदस्य (ऊर्जा), सदस्य (पर्यावरण एवं वन) एवं सदस्य (वित्त) के तहत प्रकोष्ठ कार्यरत हैं। सचिव, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा ही सचिव, नर्मदा नियंत्रण मंडल का कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मैदानी संरचना में मण्डल/संभागीय/उपसंभागीय एवं सहायक यंत्री (मैदानी) स्तर के कार्यालयों की संख्या निम्नानुसार है :-

स. क्र.	संरचना का नाम एवं मुख्यालय	मण्डल स्तर के कार्यालयों की संख्या	संभागीय कार्यालयों की संख्या		उपसंभाग कार्यालयों की संख्या		सहायक यंत्री (मैदानी)	
			सामान्य	गुणवत्ता	सामान्य	गुणवत्ता	सामान्य	गुणवत्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा जोन, जबलपुर	4 प्रकोष्ठ - 1 मण्डल - 3	12	-	5	-	35	-
2	मुख्य अभियंता, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना, जबलपुर	3 प्रकोष्ठ - 1 मण्डल - 2	9	1	20	6	13	-

स. क्र.	संरचना का नाम एवं मुख्यालय	मण्डल स्तर के कार्यालयों की संख्या	उपसंभागीय कार्यालयों की संख्या		उपसंभाग कार्यालयों की संख्या		सहायक यंत्री (मैदानी)	
			सामान्य	गुणवत्ता	सामान्य	गुणवत्ता	सामान्य	गुणवत्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद	4	14	1	9	4	35	-
4	मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएं, इन्दौर	2	6	1	14	2	7	-
5	मुख्य अभियंता (लो.नि.वि.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल	1	3	-	8	-	-	-
6	मुख्य अभियंता (वि./यां.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल	-	3	-	12	-	-	-
7	मुख्य अभियंता (ऊर्जा) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल	-	4	-	1	-	-	-
8	पर्यावरण एवं वन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल	2	3	-	6	-	-	-
9	जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल	1	3	-	9	-	-	-
10	आयुक्त(पुनर्वास/फील्ड) नद्याविप्रा इन्दौर	-	6	-	-	-	-	-
11	अधीक्षण यंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) नद्याविप्रा, भोपाल	1 (लोक स्वा. यांत्रिकी प्रकोष्ठ)	1	-	1	-	-	-
योग -		18	64	3	85	12	90	0

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नियमित एवं कार्यभारित/आकस्मिक निधि के पदों की जानकारी

स. क्र.	कार्यालय का नाम	नियमित स्थापना के स्वीकृत पद	आकस्मिक/ कार्यभारित स्थापना के स्वीकृत पद	कुल पद
1	2	3	4	5
1	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय, भोपाल	372	19	391
2	नर्मदा नियंत्रण मण्डल, भोपाल	8	0	8
3	शिकायत निवारण प्राधिकरण (स.स.प.) भोपाल	15	0	15
4	आयुक्त (पुनर्वास/फील्ड) नधाविप्रा, इन्दौर	745	0	745
5	सदस्य (पर्यावरण एवं वन) नधाविप्रा भोपाल	212	0	212
	अ. संचालक, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, इन्दौर	130	0	130
	ब. कृषि प्रकोष्ठ, नधाविप्रा, भोपाल	183	0	183
	स. मत्स्य प्रकोष्ठ, नधाविप्रा, भोपाल	04	0	04
6	अपर संचालक (नगर तथा ग्राम निवेश) नधाविप्रा, भोपाल	19	0	19
7	मुख्य अभियंता, अपर नर्मदा जोन, जबलपुर	710	97	807
8	मुख्य अभियंता, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना, बरगी हिल्स, जबलपुर	807	285	1092
9	मुख्य अभियंता, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) सनावद	949	262	1211
	अ. प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नर्मदा नगर खण्डवा	27	0	27
10	मुख्य अभियंता, निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इन्दौर	490	156	646
11	मुख्य अभियंता (लोनिवि) नधाविप्रा, भोपाल	200	42	242
	अ. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रकोष्ठ, नधाविप्रा, भोपाल	40	15	55
12	मुख्य अभियंता (वि./यां.) नधाविप्रा, भोपाल	200	416	616
13	मुख्य अभियंता (ऊर्जा), नधाविप्रा, भोपाल	102	6	108
14	प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नर्मदा नगर खण्डवा	67	0	67
	योग -	5301	1298	6599

**नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण मुख्यालय तथा मैदानी संरचनाओं में
नियमित स्थापना में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त
प्रमुख पदों की जानकारी**

स.क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	सदस्य अभियांत्रिकी	1	1	0	
2	सदस्य पर्यावरण एवं वन	1	1	0	
3	सदस्य पुनर्वास	1	0	1	अतिरिक्त प्रभार में
4	सदस्य वित्त	1	0	1	अतिरिक्त प्रभार में
5	सदस्य ऊर्जा	1	0	1	
6	आयुक्त पुनर्वास/फील्ड इन्दौर	1	1	0	
7	आयुक्त प्रशासन	1	0	1	अतिरिक्त प्रभार में
8	सचिव	1	0	1	अतिरिक्त प्रभार में
9	संचालक (कृषि)	1	0	1	
10	संचालक (पुनर्वास)	1	1	0	
11	विधि सलाहकार	1	0	1	
12	मु. अभि. (लो.नि.वि.) न.घा.वि.प्रा, भोपाल	1	0	1	अतिरिक्त प्रभार में
13	मु. अभि. (वि./यों) न.घा.वि.प्रा, भोपाल	1	1	0	
14	मु. अभि. (ऊर्जा) न.घा.वि.प्रा, भोपाल	1	0	1	अतिरिक्त प्रभार में
15	मु. अभि. रा.अ.बा.लो.सा.परि.बरगी हिल्स जबलपुर	1	1	0	
16	मु. अभि. अपर नर्मदा जोन, जबलपुर	1	1	0	
17	मु. अभि. इं.सा.परि.(नहरें.) सनावद	1	1	0	
18	मु. अभि. निचली नर्मदा परियोजनाएँ, इन्दौर	1	0	1	अतिरिक्त प्रभार में
19	अधीक्षण यंत्री	30	13	17	
20	कार्यपालन यंत्री	104	53	51	
21	सहायक यंत्री	327	126	201	
22	मुख्य वन संरक्षक	1	1	0	
23	सहायक वनसंरक्षक	9	6	3	

1.12 प्रशासन शाखा के कार्य

1. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, के प्रशासकीय नियंत्रण में है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अधीनस्थ संरचनाओं में विभिन्न स्वीकृत पदों पर, राज्य शासन के संबंधित विभागों जैसे - जल संसाधन/ लोक निर्माण/राजस्व/वित्त/कृषि/वन एवं म.प्र. विद्युत मण्डल आदि से अधिकारी/कर्मचारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होती हैं।
2. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के गठन संबंधी नर्मदा घाटी विकास विभाग के संकल्प दिनांक 16.07.1985 की कंडिका -16 (ग) के अनुसार, सलाहकारों की नियुक्ति तथा कार्यपालन यंत्री और उसके समकक्ष वेतनमान तक के अधिकारी/कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति, अन्तर्विभागीय स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति इत्यादि विशिष्ट मामलों में प्राधिकरण को राज्य शासन की शक्तियां प्राप्त हैं।
3. प्राधिकरण एवं अधीनस्थ संरचनाओं का प्रशासकीय कार्य मुख्यतः प्राधिकरण की प्रशासन शाखा द्वारा किया जाता है। इनमें मुख्यतः संरचनाओं के पुनर्गठन, निर्माण कार्यों के अनुरूप आवश्यक अमले की पूर्ति/पदस्थापना, अमले की पूर्ति हेतु शासन के संबंधित विभागों से अधिकारी/कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त करना, प्राधिकरण की शाखाओं तथा शासन के विभागों से प्रशासकीय समन्वय स्थापित करना।
4. **पदोन्नति/विभागीय जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही**

पदोन्नति के संबंध में मान. उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन याचिकाओं के कारण पदोन्नति संबंधी कार्यवाही नहीं हुई है। प्राधिकरण के अधीनस्थ संरचनाओं में पदस्थ शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के कुल 22 प्रकरण प्रचलन में हैं।

भाग - दो

2.0 परियोजनाएं

2.1 नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की परियोजनाएं

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश को आवंटित नर्मदा जल के उपयोग के लिये वर्ष 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण सिंचाई हेतु आवंटित जल के उपयोग हेतु परियोजनाओं के निर्माण में संलग्न है। नर्मदा घाटी की निर्मित और निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

2.2 निर्मित परियोजनाएं

स. क्र.	परियोजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर में)	जल विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	टीप
1	तवा परियोजना	2,46,972	13.50	प्राधिकरण गठन के पूर्व निर्मित जल संसाधन विभाग के नियंत्रण में
2	बारना परियोजना	55,000	-	
3	कोलार परियोजना	45,087	-	
4	सुक्ता परियोजना	14,200	-	
5	मटियारी परियोजना	10,100	-	
6	मान परियोजना	15,000	-	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के नियंत्रण में
7	जोबट परियोजना	9,850	-	
8	पुनासा उद्वहन	35,000	-	
9	अपरबेदा	9,900	-	
10	कठोरा उद्वहन	6,945	-	
11	इंदिरा सागर बांध तथा जल विद्युत उत्पादन इकाई	नहर प्रणाली निर्माणाधीन	1,000 + 15	विद्युत उत्पादन (1000 मे.वा. एवं 520 मे.वा.) एनएचडीसी के अधीन
12	ओंकारेश्वर बांध तथा जल विद्युत इकाई	नहर प्रणाली निर्माणाधीन	520 मेगावाट	
13	रानी अवंतीबाई लोधी सागर बांध, जल विद्युत इकाई तथा नहरें	157000	90+10 मेगावाट	विद्युत उत्पादन ऊर्जा विभाग के अधीन
14	नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना	सिंचाई प्रावधान नहीं फिर भी किसानों द्वारा क्षिप्रा नदी से पम्पिंग द्वारा सिंचाई लगभग 10 हजार हेक्टे. में	-	परियोजना क्रियाशील

2.3 प्राधिकरण की निर्मित परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

- **मान परियोजना**

नर्मदा की सहायक नदी मान पर धार जिले की मनावर तहसील के ग्राम जीराबाद के समीप स्थित बांध परियोजना। सिंचाई क्षमता 15000 हेक्टेयर, का कार्य पूर्ण हो चुका है। धार जिले की मनावर तथा गंधवानी तहसील के 53 गांवों में परियोजना से सिंचाई हो रही है। वर्ष 2018-19 में 16 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई।

- **शहीद चन्द्रशेखर आजाद (जोबट) परियोजना**

अलीराजपुर जिले के ग्राम वास्कल के निकट नर्मदा की सहायक नदी हथनी पर जोबट बांध परियोजना निर्मित है। परियोजना की सिंचाई क्षमता 9850 हेक्टेयर है। धार जिले की कुक्षी तहसील के 24 गांवों में परियोजना से सिंचाई हो रही है। वर्ष 2018-19 में 7 हजार 268 हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई।

- **पुनासा उद्वहन परियोजना**

इंदिरा सागर मुख्य नहर के शीर्ष से जल उद्वहन कर खण्डवा जिले में 35 हजार हेक्टेयर सिंचाई के लिये पुनासा उद्वहन सिंचाई परियोजना निर्मित है। परियोजना से सिंचाई हो रही है। वर्ष 2018-19 में 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई।



पुनासा उद्वहन सिंचाई योजना से माइक्रो सिंचाई

- **अपरबेदा परियोजना**

नर्मदा की सहायक नदी बेदा पर खरगोन जिले में परियोजना का मुख्य बांध, मुख्य नहर और वितरण प्रणाली का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सिंचाई क्षमता 9 हजार 900 हेक्टेयर है। परियोजना की बाईं तट नहर पूर्ण है एवं सिंचाई उपलब्ध कराई जा रही है। दाईं तट नहर से भी 1800 हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है 7.33 कि.मी. दांयी तट नहर निर्माणाधीन है। वर्ष 2018-19 में 12 हजार हेक्टेयर में खरीफ एवं 9 हजार 900 हेक्टेयर में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई।

- **कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना**

कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना खरगोन जिले में मण्डलेश्वर के निकट नर्मदा नदी पर स्थापित है। परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 6 हजार 945 हेक्टेयर है। परियोजना से कृषकों को सिंचाई सुविधा मिल रही है। वर्ष 2018-19 में 4 हजार 500 हेक्टेयर में खरीफ एवं 4 हजार हेक्टेयर में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई।

- **इंदिरा सागर बांध तथा जल विद्युत उत्पादन इकाई**

इंदिरा सागर बांध और जल विद्युत संरचना का कार्य पूर्ण होकर 1000 मेगावॉट क्षमता पर विद्युत उत्पादन जारी है। 15 मेगावॉट क्षमता का केनाल हेड पावर हाउस भी क्रियाशील है।

- **ओंकारेश्वर बांध तथा जल विद्युत इकाई**

परियोजना बांध और पावर हाउस का निर्माण पूर्ण होकर 520 मेगावाट क्षमता से विद्युत उत्पादन जारी है।

- **रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना**

परियोजना बांध का निर्माण पूर्ण है। मुख्य बाईं नहर और वितरण प्रणाली का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है, केवल कुछ लघु कार्य निर्माणाधीन हैं। परियोजना से जबलपुर तथा नरसिंहपुर जिलों में 1.57 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित। वर्ष 2018-19 में 30 हजार हेक्टेयर में खरीफ एवं 1 लाख 15 हजार हेक्टेयर में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई। विद्युत इकाई अंतर्गत मुख्य पावर हाउस 90 मेगावॉट तथा नहर पावर हाउस 10 मेगावॉट क्षमता का निर्मित है।

- **नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना**

नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना का कार्य पूर्ण है। योजना के अंतर्गत ओंकारेश्वर परियोजना की नहर से 5 क्यूमेक्स जल का उद्वहन कर इन्दौर जिले के उज्जैनी ग्राम के पास क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल पर प्रवाहित किया जाता है।

2.4 (अ) निर्माणाधीन परियोजनाएं जिनसे सिंचाई प्रारंभ है - (क्षेत्र हजार हेक्टेयर में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	लागत रु. करोड़ में	सिंचाई क्षमता सीसीए	निर्मित सिंचाई क्षमता	वास्तविक सिंचाई		लाभान्वित जिले
					खरीफ	रबी	
1	बरगी व्यपवर्तन	5127.22	245.00	69.53	22.50	40.50	जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना
2	इंदिरा सागर परियोजना नहरें	4604.52	123.00	123.00	36.44	109.10	खण्डवा, खरगोन, बड़वानी
3	ओंकारेश्वर परियोजना नहरें	4116.22	147.00	134.00	47.00	81.00	खण्डवा, खरगोन, धार
4	शहीद भीमा नायक सागर (लोअर गोई) परियोजना	545.36	13.76	9.20	0.00	3.90	बड़वानी
5	नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना	2187.21	50.00	30.00	0.00	7.00	इंदौर, उज्जैन
	योग	16580.53	578.76	365.73	105.94	241.50	

2.4 (ब) निर्माणाधीन परियोजनाएं

स. क्र.	परियोजना का नाम	सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)	लागत रु. करोड़ में	लाभान्वित जिले
1	हालोन परियोजना	13.04	414.21	मण्डला
2	बलवाड़ा एमआईपी	5.00	52.78	खरगोन
3	छैगांवमाखन एमआईपी	35.00	784.10	खण्डवा
4	बिस्तान एमआईपी	22.00	515.10	खरगोन
5	अलीराजपुर एमआईपी	35.00	833.35	अलीराजपुर
6	छीपानेर एमआईपी	35.00	516.11	सीहोर, देवास
7	चौड़ी जामनिया एमआईपी	4.00	68.36	खरगोन
8	बलकवाड़ा एमआईपी	9.00	123.69	खरगोन
9	अम्बा रोड़िया एमआईपी	9.91	138.29	खरगोन
10	सिमरोल अम्बाचंदन एमआईपी	4.00	59.13	इंदौर
11	हरसूद एमआईपी	5.64	113.41	खण्डवा
12	ढीमरखेड़ा एमआईपी	15.00	256.16	कटनी
13	उज्जैनी-देवास-उज्जैन पाईप लाइन	0	130.43	उज्जैन, देवास
14	भीकनगांव-बिन्जलवाड़ा एमआईपी	50.00	745.00	खरगोन, खण्डवा
15	जावर एमआईपी	26.00	466.91	खण्डवा
16	आईएसपी कालीसिंध चरण 1	100.00	3489.82	देवास, शाजापुर, सीहोर
17	नर्मदा पार्वती चरण 1 एवं 2	100.00	3415.30	सीहोर, शाजापुर
18	नागलवाड़ी एमआईपी	47.00	1173.03	बड़वानी, खरगोन
19	नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय	30.00	2215.64	उज्जैन, शाजापुर
20	पुनासा विस्तार	0.97	20.33	खण्डवा
21	भुरलाय एमआईपी	1.48	29.75	खण्डवा
22	किल्लौद एमआईपी	10.00	140.57	खण्डवा
23	पामाखेड़ी एमआईपी	1.08	22.69	खण्डवा
24	कोदवार एमआईपी	3.66	69.61	खण्डवा
25	नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदापुर एमआईपी	57.42	2050.70	झाबुआ, धार

2.5 निर्माणाधीन परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

● बरगी व्यपवर्तन परियोजना

रानी अवंतीबाई लोधी सागर बांध की दांयी तट मुख्य नहर से जबलपुर, कटनी, सतना एवं रीवा जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बरगी व्यपवर्तन परियोजना निर्माणाधीन है। मुख्य नहर की लंबाई 197.40 कि.मी., शाखा नहरों की लंबाई 255.160 कि.मी. तथा वितरण नहरों की लंबाई 2700 कि.मी. प्रस्तावित है। परियोजना पूर्ण होने पर जबलपुर, कटनी, रीवा और सतना जिलों में 2.45 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वर्तमान में 104 कि.मी. तक मुख्य नहर पूर्ण है। कि.मी. 104 से 116 के बीच 12 कि.मी. लंबी टनल का निर्माण कार्य जारी है। दोनों छोर से टनल बोरिंग का कार्य प्रगति पर है एवं मार्च 2019 तक 4.27 कि.मी. टनल का निर्माण हो चुका है। निर्माणाधीन नहर प्रणाली से वर्ष 2012-13 से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2018-19 में 22 हजार 500 हेक्टेयर में खरीफ एवं 40 हजार 500 हेक्टेयर में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई।

● इंदिरा सागर परियोजना नहरें

इंदिरा सागर बांध से 243.893 कि.मी. लंबी मुख्य नहर का निर्माण पूर्णता पर है। खरगोन, बडवानी और खण्डवा जिलों में कुल 1.23 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहर प्रणाली निर्माणाधीन है। परियोजना में ग्रेविटी फ्लो से 90200 हेक्टेयर एवं खरगोन लिफ्ट प्रणाली से 33000 हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है। निर्माणाधीन नहर प्रणाली से वर्ष 2007-08 से सिंचाई जारी है। वर्ष 2018-19 में 36 हजार 444 हेक्टेयर में खरीफ एवं 1 लाख 9 हजार 100 हेक्टेयर में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई।

खरगोन उद्वहन नहर सिंचाई प्रणाली

इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर से तीन चरणों में जल उद्वहन कर खरगोन जिले की भीकनगांव, गोगांवा और खरगोन तहसीलों में कुल 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। उद्वहन नहर सिंचाई प्रणाली निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन नहर प्रणाली से वर्ष 2015-16 से सिंचाई जारी है। वर्ष 2018-19 में 13 हजार 40 हेक्टेयर में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई।

● ओंकारेश्वर परियोजना नहरें

ओंकारेश्वर बांध से नहर प्रणाली का निर्माण कार्य चार चरणों में किया जा रहा है। परियोजना की सम्पूर्ण नहर प्रणाली से खरगोन, धार और खण्डवा जिलों में 1.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। परियोजना में ग्रेविटी फ्लो से 92 हजार 170 हेक्टेयर एवं लिफ्ट प्रणाली 54 हजार 630 हेक्टेयर सिंचाई प्रस्तावित है। नहर प्रणाली निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन नहर प्रणाली से वर्ष 2012-13 से सिंचाई जारी है। वर्ष 2018-19 में 47 हजार हेक्टेयर में खरीफ एवं 81 हजार हेक्टेयर में रबी की सिंचाई उपलब्ध कराई गई।

धार जिले के धरमपुरी, मनावर एवं कुक्षी क्षेत्र में ओंकारेश्वर परियोजना की नहर से समुचित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मनावर केनाल बूस्टिंग सिस्टम का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

- **शहीद भीमा नायक सागर परियोजना (लोअर गोई परियोजना)**

नर्मदा की सहायक गोई नदी पर बड़वानी जिला मुख्यालय से 21 कि.मी. दूर बांध परियोजना निर्माणाधीन है। बांध के मुख्य कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं। मुख्य नहर की कुल लंबाई 27.55 कि.मी. में से 16.00 कि.मी तक नहर का कार्य हो चुका है। परियोजना कार्य पूर्ण हो जाने पर बड़वानी जिले के 46 गांवों की 13 हजार 760 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। बांध में संग्रहित जल से निजी पंपिंग कर कृषकों द्वारा सिंचाई ली जा रही है।



बड़वानी जिले में शहीद भीमा नायक (लोअर गोई) परियोजना बांध

- **हालोन परियोजना**

परियोजना के अंतर्गत मण्डला जिले में हालोन नदी पर बांध और नहर प्रणाली निर्माणाधीन है। परियोजना का कार्य जारी है। मुख्य नहर की कुल लंबाई 81.00 कि.मी. में से 50.00 कि.मी. तक के कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना से मण्डला जिले के 46 गांवों की 13 हजार 40 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी।



मण्डला जिले में पूर्णता पर हालोन परियोजना बांध

- **बलवाड़ा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना**

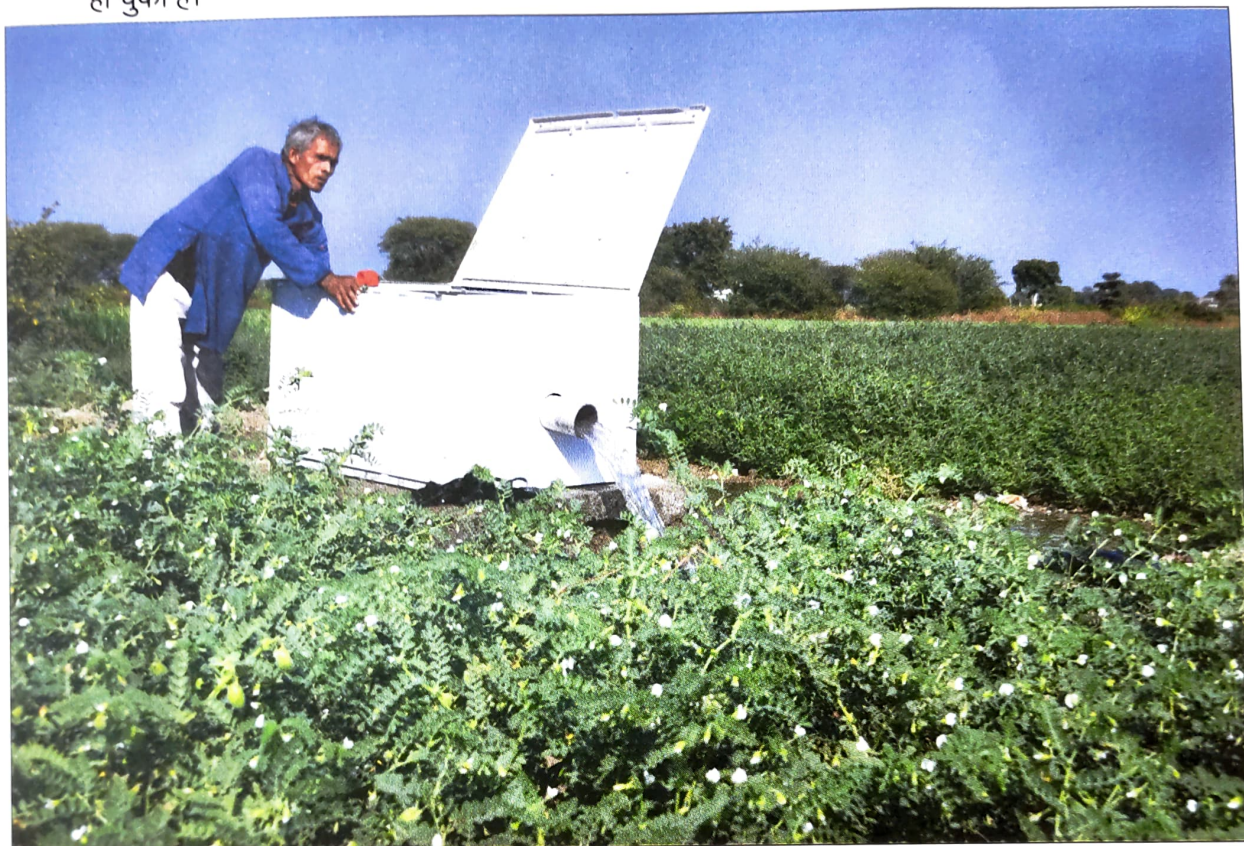
परियोजना से खरगोन जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बलवाड़ा में 19 ग्रामों की 5000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इस परियोजना में नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक योजना के बीपीटी-1 से 1.25 क्यूमेक्स पानी का उपयोग किया जाएगा। किसानों को ड्रिप/स्प्रिंकलर माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होकर परीक्षण जारी है।



बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई योजना, जिला खरगौन

- **नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना**

परियोजना के अंतर्गत इन्दौर जिले की 3 एवं उज्जैन जिले की 4 तहसीलों के कुल 158 गांवों का 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। सिंचाई के लिए 15 क्यूमेक्स पानी ओंकारेश्वर परियोजना की दांयी तट नहर से लिया जाएगा। कुल 421 मी. जल का उद्वहन है। उद्वहन के लिये चार पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं। परियोजना से सिंचाई के अतिरिक्त औद्योगिक इकाईयों, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को भी जल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना में संपूर्ण जल वितरण प्रणाली पाइप आधारित है। यशवंत सागर तक पानी पहुंच गया है। सिंचाई प्रारंभ हो चुकी है।



इंदौर जिले के देपालपुर क्षेत्र में नर्मदा मालवा गंभीर लिंक योजना से सिंचाई

- **छैगांवमाखन माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट (एमआईपी)**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर मुख्य नहर की आर.डी. 26.90 कि.मी. से 12.46 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खण्डवा जिले की खण्डवा तथा पंधाना तहसील की 35 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य प्रगति पर है।



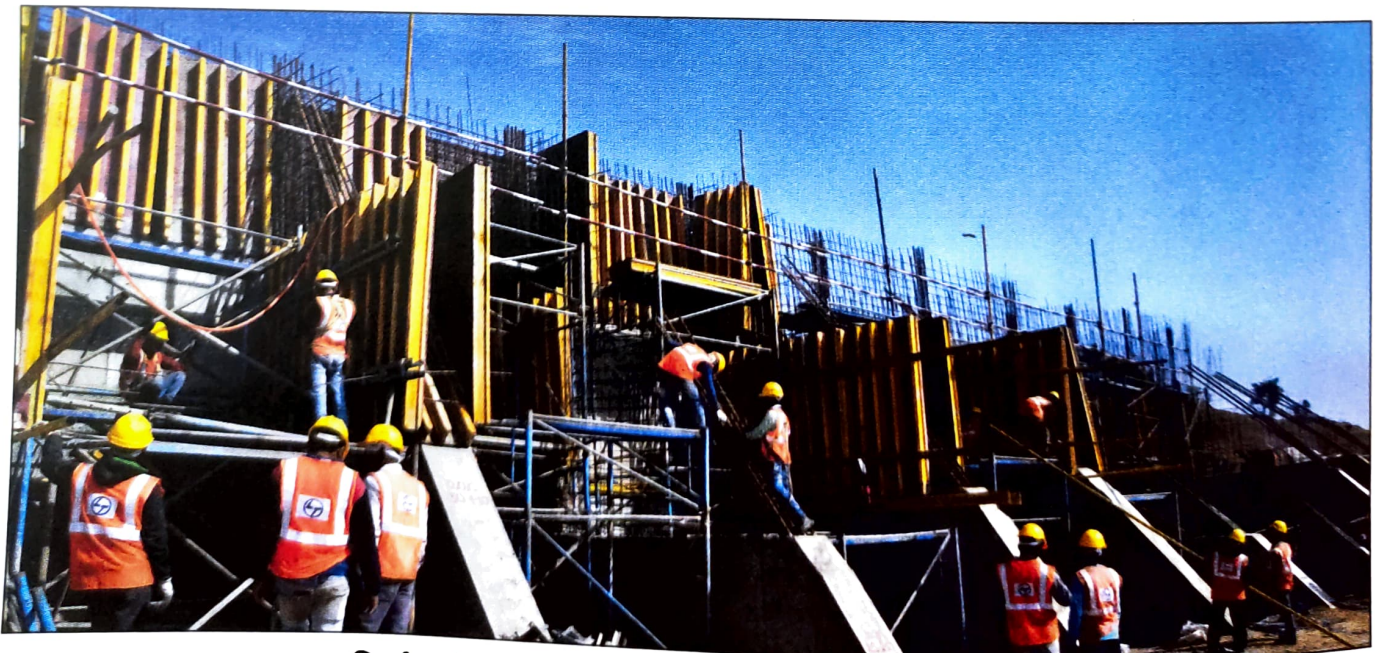
खण्डवा जिले में छैगांवमाखन माइक्रो सिंचाई योजना का निर्माणाधीन पम्प हाउस क्र. 2

- **बिस्तान एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर मुख्य नहर की आर.डी. 101 कि.मी. से 8 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खरगोन जिले की गोगांवा तहसील की 11300, भगवानपुरा तहसील की 8 हजार 800 हेक्टेयर और खरगोन तहसील की 1900 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **अलीराजपुर एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत अलीराजपुर तहसील में हथनी नदी से 12.60 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से अलीराजपुर जिले की 4 तहसील सोंडवा, अलीराजपुर, जोबट, कट्टीवाड़ा की 35 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।



निर्माणाधीन अलीराजपुर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना

- **छीपानेर एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत नर्मदा नदी से 6 स्थानों से 12.64 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से सीहोर एवं देवास जिले की 2 तहसील नसरुल्लागंज एवं खातेगांव की 35 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **चौड़ी जामनिया एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर नहर आर.डी. 85.82 से 1.42 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खरगोन जिले की 2 तहसील भीकनगांव एवं कसरावद की 4 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **बलकवाड़ा एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर नहर आर.डी. 145.50 से 3.22 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खरगोन जिले की तहसील कसरावद की 9 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- **अम्बा रोड़िया एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर नहर आर.डी. 74.30 से 3.54 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खरगोन जिले की 3 तहसील सनावद, भीकनगांव एवं कसरावद की 9 हजार 915 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- **सिमरोल अम्बाचंदन एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक के बीपीटी-2 से 1.13 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से इन्दौर जिले की महू तहसील की 4 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **हरसूद एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर जलाशय से 2.2 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खण्डवा जिले की हरसूद तहसील की 5 हजार 640 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **ढीमरखेड़ा एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत बरगी डायवर्जन नहर की आर.डी. 85 कि.मी. से 90 कि.मी. के मध्य चार स्थानों से 5.34 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से कटनी जिले की ढीमरखेड़ा तहसील की 15 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **अपर बेदा दांयी तट नहर**

पूर्व से निर्मित अपर बेदा बांध के दांए तट से भीकनगांव एवं झिरन्या तहसील में 1800 हेक्टेयर में सिंचाई हेतु 7.33 कि.मी. पाईप मुख्य नहर का निर्माण कार्य पूर्णता पर है।

- **उज्जैनी-देवास-उज्जैन पाइप लाइन**

उज्जैनी-उज्जैन पाइप लाइन की लंबाई 78.00 कि.मी. है। इसके अन्तर्गत नर्मदा-क्षिप्रा सिंहस्थ लिक योजना के पंपिंग स्टेशन क्र. 4 से प्रारंभ कर देवास होते हुए उज्जैन स्थित क्षिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट तक एम.एस./डी.आई. पाइप लाइन डाली जाना है। उक्त पाइप लाइन में विभिन्न स्थानों पर 10 आउटलेट छोड़े जाना है।

इस योजना से उज्जैन के क्षिप्रा घाटों पर नियमित स्वच्छ नर्मदा जल उपलब्ध होगा तथा उज्जैन शहर के लिये गउघाट से पेयजल पूर्ति होगी। एक आउटलेट डी.एम.आई.सी. के लिये ग्राम दताना के समीप 11 एम.एल.डी. डिस्चार्ज पंपिंग व्यवस्था सहित होगा। निर्माण कार्य जारी है।

- **भीकनगांव-बिन्जलवाड़ा एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत आईएसपी नहर की आर.डी. 57.83 कि.मी. से 17.80 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खरगोन जिले की सनावद, पंधाना, भीकनगांव, झिरन्या एवं खण्डवा तहसील की 50 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **जावर एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत आईएसपी जलाशय से 9.25 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खण्डवा जिले की खण्डवा तहसील की 26 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **आईएसपी कालीसिंध चरण- 1 एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर जलाशय से 32.04 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से देवास, शाजापुर एवं सीहोर जिले की हाटपिपलिया, सोनकच्छ, देवास, आष्टा, शाजापुर एवं शुजालपुर तहसील की 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।



नर्मदा काली सिंध उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना के लिए पाइपों का निर्माण

- **नर्मदा पार्वती चरण- 1 एवं 2 एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर जलाशय से 32.04 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से शाजापुर एवं सीहोर जिले की आष्टा, इछावर, कालापीपल, अवंतीपुर, बड़ोदिया, शुजालपुर एवं सीहोर तहसील की 1 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **नागलवाड़ी एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत नर्मदा नदी से 15.00 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से बड़वानी एवं खरगोन जिले की राजपुर, ठीकरी, सेगांव एवं खरगोन तहसील की 47 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना**

परियोजना अन्तर्गत ओंकारेश्वर जलाशय से 15.00 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से उज्जैन एवं शाजापुर जिले की तराना, घटिया एवं शाजापुर तहसील की 30 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी एवं इस क्षेत्र के लिये पेयजल एवं उद्योगों के लिये भी जल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परियोजना निर्माण कार्य जारी है।

- **पुनासा विस्तार**

परियोजना अन्तर्गत पुनासा जलाशय क्र. 1 से 0.35 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खण्डवा जिले की पुनासा तहसील की 975 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- **भुरलाय एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर जलाशय से 0.53 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खण्डवा जिले की पुनासा तहसील की 1 हजार 480 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- **किल्लौद एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर जलाशय से 3.56 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खण्डवा जिले की हरसूद तहसील की 10 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- **पामाखेड़ी एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर जलाशय से 0.38 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खण्डवा जिले की पुनासा तहसील की 1 हजार 80 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- **कोदवार एमआईपी**

परियोजना अन्तर्गत इंदिरा सागर नहर आर.डी. 13 कि.मी. से 1.30 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से खण्डवा जिले की पुनासा तहसील की 3 हजार 660 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

- नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदापुर एमआईपी

परियोजना अन्तर्गत नर्मदा नदी से 18.00 क्यूमेक्स जल उद्वहन किया जाएगा। परियोजना से झाबुआ एवं धार जिले की झाबुआ, पेटलावद, थांदला एवं सरदापुर तहसील की 57 हजार 422 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना निर्माण की एजेंसी निर्धारित कर दी गई है।

अन्तर्राज्यीय परियोजना

- सरदार सरोवर परियोजना

मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की भागीदारी से सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना बांध और पावर हाउस का निर्माण पूर्ण हो गया है। परियोजना से मध्यप्रदेश को 57 प्रतिशत विद्युत अंश उपलब्ध हो रहा है।

2.6 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं/निर्माण पूर्व प्रक्रिया प्रचलित

स. क्र.	योजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ में	प्रस्तावित सिंचाई क्षमता (हेक्टे. में)	लाभान्वित जिला
1	आईएसपी कालीसिंध चरण 2	4407.52	1,00,000	शाजापुर, राजगढ़
2	नर्मदा पार्वती चरण 3 एवं 4	4132.00	1,00,000	सीहोर, शाजापुर
3	चिंकी एमआईपी	1494.64	1,04,000	नरसिंहपुर, रायसेन
4	पिपरी एमआईपी	293.18	17,000	खरगोन
5	पाटी एमआईपी	128.85	5,500	बड़वानी
6	मोरण्ड गंजाल बांध परि.	2813.00	52,200	हरदा, खण्डवा, होशंगाबाद
7	रानी दुर्गावती एमआईपी	24.16	1,200	जबलपुर
8	बदनावर एमआईपी	1520.92	50,000	धार
9	खालवा एमआईपी	1103.28	50,000	खण्डवा
10	डही एमआईपी	1127.82	47,000	धार, अलीराजपुर

2.7 प्रस्तावित परियोजनायें

स. क्र.	योजना का नाम	अनुमानित लागत करोड़ में	प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र हजार हेक्टे. में (लगभग)	लाभान्वित जिले
1	शक्कर बांध परि.	2400	60.00	नरसिंहपुर
2	दूधी बांध परि.	1700	50.00	नरसिंहपुर, होशंगाबाद
3	नर्मदा मालवा गंभीर पार्ट-2	6500	150.00	इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर
4	नर्मदा मालवा क्षिप्रा पार्ट-2	7500	170.00	इन्दौर, उज्जैन
5	कुक्षी माइक्रो उद्वहन	1019	37.00	धार

भाग-तीन

3.0 बजट

3.1 वर्ष 2018-19 के लिये उपलब्ध बजट एवं परियोजनावार व्यय

वर्ष 2018-19 के लिये नर्मदा घाटी विकास विभाग को रु. 3247.83 करोड़ बजट प्रावधान प्राप्त हुआ जिसके विरुद्ध रु. 3119.17 करोड़ व्यय हुआ। विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रु. करोड़ में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	बजट प्रावधान 2018-19 (अनुपूरक अनुमान एवं पुनर्विनियोजन सहित)	व्यय
1	2	3	4
1	रा.अ.बा.लो.स. परियोजना	111.60	100.40
2	मान परियोजना	9.28	5.39
3	जोबट परियोजना	7.46	4.77
4	इंदिरा सागर परियोजना	164.74	151.93
5	ओंकारेश्वर परियोजना	120.10	117.53
6	अपरवेदा परियोजना	11.62	7.41
7	पुनासा उद्वहन	10.23	9.53
8	बरगी व्यपर्तन परियोजना	172.69	166.25
9	अपर नर्मदा योजना	2.14	1.86
10	हालोन परियोजना	31.16	29.96
11	लोअर गोई परियोजना	54.68	53.91
12	नर्मदा मालवा लिंक	215.16	204.95
13	चिंकी माइक्रो सिंचाई	0.00	0.00
14	शेर मछरेवा	0.41	0.41
15	दूधी परियोजना	0.00	0.00
16	मोरान्ड गंजाल परियोजना	0.01	0.57
17	उज्जैनी देवास उज्जैन पाइप लाइन	112.95	109.95
18	जावर उद्वहन सिंचाई योजना	12.49	12.49

स. क्र.	परियोजना का नाम	बजट प्रावधान 2018-19 (अनुपूरक अनुमान एवं पुनर्विनियोजन सहित)	व्यय
1	2	3	4
19	सिमरोल-अम्बा चंदन माइक्रो सिंचाई योजना	5.14	5.14
20	बलकावाड़ा उद्वहन (नवीन) सिंचाई योजना	18.19	18.19
21	चौड़ी जमनिया उद्वहन सिंचाई योजना	10.81	10.81
22	हरसूद उद्वहन सिंचाई योजना	60.00	60.00
23	ढीमरखेड़ा उद्वहन सिंचाई योजना	90.70	90.70
24	अम्बा रोडिया उद्वहन सिंचाई योजना	17.60	17.60
25	नागलवाड़ी उद्वहन सिंचाई योजना	64.92	64.92
26	भीकनगांव बिन्जलवाड़ा सिंचाई योजना	28.36	28.36
27	छिपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना	104.92	104.91
28	अलीराजपुर उद्वहन	270.89	270.89
29	नर्मदा कालीसिंध लिंक योजना	234.89	234.89
30	छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई योजना	202.58	201.26
31	बिस्तान उद्वहन सिंचाई योजना	174.50	174.49
32	बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई योजना	10.69	10.14
33	जल उपभोक्ता संस्थाओं का रख-रखाव	3.95	3.04
34	घाटों का निर्माण	1.78	1.66
35	पीपरी माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना	0.00	0.00
36	नमामी देवी नर्मदे (नर्मदा सेवा मिशन के अतर्गत नर्मदा यात्री निवास घाटों एवं तालाबों का निर्माण)	0.00	0.00
37	नर्मदा पार्वती लिंक योजना	261.90	261.90
38	नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर. उद्वहन सिंचाई योजना	62.30	62.30
39	नर्मदा बेसिन कम्पनी लिमिटेड	0.00	0.00
40	नर्मदा-क्षिप्रा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना	105.00	104.99
41	पाटी उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना	0.00	0.00
42	किल्लौद उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना	7.50	2.50
43	पामखेड़ी उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना	2.00	0.47
44	भुरलाय उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना	2.30	0.70

स. क्र.	परियोजना का नाम	बजट प्रावधान 2018-19 (अनुपूरक अनुमान एवं पुनर्विनियोजन सहित)	व्यय मार्च 2019 तक
1	2	3	4
45	कोदवार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना	3.00	2.00
46	52 सी.ए.डी. प्लान (इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान, जोबट, अपर वेदा, बरगी व्यपवर्तन, रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना)	11.50	11.00
	योग:-	2792.14	2720.17
47	अन्य कार्य सिंचाई, स.स.परि. (कठोरा एलआईएस सहित) ऊर्जा, स्थापना व्यय	455.69	399.00
	योग:-	3247.83	3119.17

भाग – चार

4.0 परियोजनाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य

4.1 पुनर्वास

- इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मान तथा जोबट परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास, प्राधिकरण की पुनर्वास नीति 1989 (31.05.2016 तक संशोधित) के अनुसार किया गया है।
- लोअरगोई और अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 तथा उसमें प्राधिकरण की ओर से सम्मिलित लाभकारी प्रावधानों को जोड़कर बनाई गई पुनर्वास नीति 2008 के अनुसार किया जा रहा है।
- सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित पुनर्वास, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्देशों, समय-समय पर जारी न्यायालयीन निर्देशों और पुनर्वास नीति 1989 (31.05.2006 तक संशोधित) के अनुसार किया गया है।

सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास

सरदार सरोवर जलाशय के पुनरीक्षित बैकवाटर लेवल अनुसार मध्यप्रदेश के 178 ग्रामों में डूब का प्रभाव है तथा डूब प्रभावित परिवारों की कुल अनुमानित संख्या 23612 है। जिसमें से 5549 परिवारों को गुजरात राज्य में तथा शेष 18063 परिवारों को मध्यप्रदेश में पुनर्वास के लाभ दिये गये हैं।

मध्यप्रदेश में परियोजना प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि, पुनर्वास अनुदान, विशेष पुनर्वास अनुदान, उत्पादक परिसम्पत्ति अनुदान, परिवहन अनुदान तथा आवासीय भूखण्ड के बदले नगद राशि मद में रु. 1532.22 करोड़ का वितरण किया गया है।

मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2017 में ऐसे प्रभावित परिवार जिन्हें पूर्व में डूब प्रभावित भूमि के बदले एक तरफा भूमि आवंटित की गई थी अथवा विशेष पुनर्वास अनुदान का कोई लाभ नहीं/अंश लाभ दिया गया था, को रुपये 60 लाख प्रति परिवार की राशि फुल एण्ड फायनल सेटलमेंट के रूप में दिये जाने के आदेश दिये हैं। जस्टिस झा आयोग की रिपोर्ट अनुसार से पात्रता वाले परिवार को रुपये 15 लाख की राशि दिये जाने के आदेश हैं। उपरोक्त दोनों श्रेणियों के 80 प्रतिशत से अधिक प्रभावित परिवारों को उपरोक्तानुसार राशि भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है।

सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावित परिवारों के लिये राज्य शासन द्वारा रुपये 900 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की स्वीकृति भी दी गई है।

मान. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8 फरवरी 2017 के आदेश के परिपालन में पात्रतानुसार प्रति परिवार रु. 60 लाख के मान से 722 परिवारों को पूर्व में भुगतान की गई विशेष पुनर्वास अनुदान राशि सहित रु. 418.49 करोड़ का भुगतान दिनांक 31 मार्च 2019 तक किया गया। इसी प्रकार झा आयोग से संबंधित प्रभावितों को रु. 15 लाख प्रति परिवार के मान से 892 परिवारों को पूर्व में दिये गये मुआवजा एवं विशेष पुनर्वास अनुदान सहित रु. 82.69 करोड़ का भुगतान किया गया।

राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष राहत पैकेज के अन्तर्गत पूर्व में बिना भूमि क्रय किये रु. 5.58 लाख की राशि प्राप्त करने वाले पात्र परिवारों को रु. 8966.06 लाख वितरित किये गये।

पुनर्वास स्थल

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत 88 पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण कर उन्नयन संबंधी कार्य हेतु समिति गठित की गई। जिसमें से समिति द्वारा पुनर्वास स्थलों का निरीक्षण कर चिन्हित किये गये पुनर्वास स्थलों के रखरखाव/मरम्मत/उन्नयन कार्य कराये जा रहे हैं।

सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत 83 पुनर्वास स्थलों पर वर्ष 2018-19 में रु. 6948.34 लाख के उन्नयन कार्य कराये गये।

अन्य परियोजनायें:

- इंदिरा सागर परियोजना से 44 हजार 631 परिवार प्रभावित हैं इनके लिये 34 पुनर्वास स्थल विकसित किये गये हैं। इन परिवारों का पुनर्वास करते हुये 1560.84 करोड़ रुपये का भुगतान मुआवजे के रूप में किया गया है।
- ओंकारेश्वर परियोजना से 6 हजार 329 परिवार प्रभावित हैं इनके लिये 13 पुनर्वास स्थल विकसित किये गये हैं। इन परिवारों का पुनर्वास करते हुये 156.03 करोड़ रुपये का भुगतान मुआवजे के रूप में किया गया है। इसके अतिरिक्त ओंकारेश्वर परियोजना प्रभावितों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अतिरिक्त विशेष पैकेज के रूप में मार्च 2019 तक रु. 183.31 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।
- मान परियोजना प्रभावित 993 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। इन्हें मुआवजे के रूप में रु. 400.824 लाख वितरित किए गए। इनके लिये 4 पुनर्वास स्थल विकसित किये गये हैं।
- शहीद चन्द्रशेखर आजाद (जोबट) परियोजना से प्रभावित 2019 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। इन्हें मुआवजे के रूप में रु. 1021.78 लाख वितरित किये गए। इनके लिये 1 पुनर्वास स्थल विकसित किया गया है।
- अपरबेदा परियोजना प्रभावित 1583 परिवारों का पुनर्वास किया गया है। इन्हें मुआवजे के रूप में रु. 1963.64 लाख वितरित किये गए। इनके लिये 2 पुनर्वास स्थल विकसित किये गये हैं। परियोजना अंतर्गत शिवना-आभापुरी परिवर्तित मार्ग की मरम्मत एवं सुधार कार्य पूर्ण हो गया है।
- लोअरगोई परियोजना से प्रभावित 2778 परिवारों को मुआवजे के रूप में 4289.31 लाख वितरित किये गए। इनके लिये 1 पुनर्वास स्थल विकसित किया गया है। परियोजना अंतर्गत पांचपुला उत्तर (नागाल्या-फाल्या) की डायवर्सन रोड पर पुलियाओं के निर्माण कार्य हेतु एजेंसी निर्धारित की जाकर निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
- हालोन परियोजना के अंतर्गत आंशिक रूप से प्रभावित हो रहे 15 ग्रामों में प्रभावित परिवारों की संख्या 1577 है। इन परिवारों को रु. 3096.91 लाख रुपये की मुआवजा राशि वितरित की गई।

4.2 जेण्डर बिन्दु

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में अधिसूचना जारी होने की तिथि को परिवार की वयस्क किन्तु अविवाहित पुत्री को पृथक परिवार इकाई मानकर पात्रतानुसार अनुदान तथा अन्य सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

4.3 पर्यावरण

परियोजना के निर्माण से पर्यावरण की संभावित क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक उपाय किये गये हैं। सरदार सरोवर परियोजना की डूब से प्रभावित 2731.00 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 8737 हेक्टेयर नया वन रोपण किया गया है। इंदिरा सागर जलाशय की डूब से प्रभावित 41460.93 हेक्टेयर क्षेत्र के बदले 81435 हेक्टेयर वृक्षारोपण एवं ओंकारेश्वर परियोजना जलाशय की डूब से प्रभावित 5829.85 हेक्टेयर वन क्षेत्र के बदले 11660 हेक्टेयर वृक्षारोपण किया गया।

4.4 वन्य प्राणी संरक्षण

परियोजना की डूब से प्रभावित वन्यप्राणियों के संरक्षण और पुनर्वास के प्रबंध किये गये हैं। इस संबंध में कराये गये अध्ययन की अनुशंसाओं के अनुसार इन्दिरा सागर/ओंकारेश्वर परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में वन्यप्राणी संरक्षण के लिये खण्डवा तथा देवास जिले में 645.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन्यप्राणी प्रबंधन संबंधी कार्य किये गये हैं। प्राधिकरण द्वारा रु. 120.45 करोड़ की कार्ययोजना अनुमोदित की गई है, जिसके विरुद्ध रु. 66.60 करोड़ व्यय हुए हैं।

विगत वर्षों में वन्यप्राणियों के पेयजल हेतु पानी की उपलब्धता हेतु स्टॉपडेम/एनीकट निर्माण/डाईक निर्माण तथा चेकडेम निर्मित किये गये हैं। संरक्षित क्षेत्र में शाकाहारी वन्यप्राणियों के चारे हेतु चरागाह विकास कार्य किये गये हैं। वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु गश्त के लिये दुर्गम एवं पहुंच विहीन क्षेत्रों में पहुंच मार्ग, उन्नयन कार्य, संचार तंत्र अंतर्गत वायरलेस टॉवर, पैट्रोलिंग केम्प, चेकपोस्ट की स्थापना की गई है।

4.5 मत्स्य पालन

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्मित परियोजनाओं के जलाशय से वर्ष 2018-19 में मार्च 2019 तक निम्नानुसार मत्स्योत्पादन/राजस्व राज्य शासन को प्राप्त हुआ -

स. क्र.	परियोजना का नाम	औसत जलक्षेत्र (हेक्टे.)	मत्स्योत्पादन (मे.टन में)	राजस्व की प्राप्ति (लाख में)
1	इंदिरा सागर	59029.00	2442.899	1025.40
2	रानी अवंतीबाई लोधी सागर बरगी	16648.50	213.181	95.08
3	ओंकारेश्वर	8000.00	42.854	40.65
4	मान जलाशय	1014.00	13.324	3.81
	योग -	84691.50	2712.258	1164.94

4.6 जलग्रहण क्षेत्र उपचार

नर्मदा बेसिन में विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित सीधे एवं स्वतंत्र जल निकासी वाले उपजलग्रहण क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य हेतु कार्य योजनायें तैयार की गई हैं।

वर्ष 2018-19 में मार्च 19 तक की स्थिति में प्रगति निम्नानुसार हैं -

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

स.क्र.	परियोजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	इंदिरा सागर परियोजना	9,76,502	1,05,932
2.	सरदार सरोवर परियोजना	4,33,740	4,33,740
3.	ओंकारेश्वर परियोजना	79,288	69,283
4.	मान परियोजना	5148	5,148
5.	जोबट परियोजना	49,727	16,586
6.	अपरबेदा परियोजना	8,089	1,855
7.	महेश्वर परियोजना	15,614	15,614
8.	रानी अवन्तिबाई लोधी सागर परियोजना	--	2,114
9.	लोअर गोई परियोजना	3369	2,547
	योग	15,71,477	6,52,819

4.7 कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं में वाटरकोर्स एवं फील्ड चैनल निर्माण के कार्य प्रगति पर हैं। कमाण्ड क्षेत्र विकास की परियोजनावार स्थिति मार्च 2019 तक निम्नानुसार है :-
(इकाई हेक्टे.में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	रूपांकित सिंचाई क्षमता	विकसित कमाण्ड क्षेत्र
1.	रानी अवन्तीबाई लोधी सागर	1,57,000	70921
2.	बरगी व्यपवर्तन	2,45,000	1393
3.	मान	15,000	1396
4.	जोबट	9,850	1848
5.	इंदिरा सागर	1,23,200	42469
6.	ओंकारेश्वर	1,46,800	30900
7.	अपर बेदा	9,900	7295
	योग-	7,06,750	1,56,222

4.8 जल उपभोक्ता संथाओं का गठन

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं में 251 जल उपभोक्ता संथाओं का गठन किया जाकर गठित जल उपभोक्ता संस्थाओं के अध्यक्षों, टी.सी. सदस्यों एवं सक्षम प्राधिकारियों का प्रक्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण वाल्मी भोपाल द्वारा दिया जा चुका है। गठित जल उपभोक्ता संथाओं की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	परियोजना का नाम	जिला	रूपांकित सिंचाई क्षमता	प्रस्तावित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	गठित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या
1	रानी अवन्ती बाई लोधी सागर परियोजना	जबलपुर	62,000	30	30
		नरसिंहपुर	95,000	60	60
		योग	1,57,000	90	90
2	बरगी व्यपवर्तन परियोजना	जबलपुर	60,000	28	28
		सतना	1,59,655	95	0
		कटनी	21,823	13	0
		रीवा	3,522	2	0
		योग	2,45,000	138	28

क्र.	परियोजना का नाम	जिला	रूपांकित सिंचाई क्षमता	प्रस्तावित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या	गठित जल उपभोक्ता संथाओं की संख्या
3	इंदिरा सागर परियोजना	खण्डवा	19200	11	11
		खरगोन	66000	43	19
		बड़वानी	38000	24	2
		योग	123200	78	32
4	अपरवेदा परियोजना	खरगोन	9900	9	9
		योग	9900	9	9
5	पुनासा उद्वहन	खण्डवा	35000	18	10
		योग	35000	18	10
6	ओंकारेश्वर परियोजना	खण्डवा	960	1	1
		खरगोन	70691	37	37
		धार	75149	43	28
		योग	146800	81	66
7	मान परियोजना	धार	15000	10	10
		योग	15000	10	10
8	जोबट परियोजना	धार	9850	6	6
		योग	9850	6	6
9	कठोरा उद्वहन परियोजना	खरगोन	6945	4	0
		योग	6945	4	0
10	लोअरगोई परियोजना	बड़वानी	13700	7	0
		योग	13700	7	0
11	हालोन परियोजना	मण्डला	13040	10	0
		योग	13040	10	0
12	नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना	इंदौर	34561	18	0
		उज्जैन	15439	8	
		योग	50000	26	0
13	बलवाड़ा उद्वहन परियोजना	खरगोन	5000	3	0
		योग	5000	3	0
14	हरसूद उद्वहन परियोजना	खण्डवा	5640	3	0
		योग	5640	3	0
महायोग			836075	483	251

4.9 स्वास्थ्य कार्ययोजना

नर्मदा घाटी सिंचाई परियोजनाओं की स्वास्थ्य कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (NIMR) नई दिल्ली के साथ दिनांक 24 अगस्त 2016 को अनुबंध (MOU) किया है जिसकी अवधि जून 2021 तक है।

स्वास्थ्य कार्ययोजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ने भोपाल, इन्दौर एवं सनावद में तीन क्षेत्रीय अनुसंधान इकाईयां स्थापित हैं। इन इकाईयों द्वारा सभी परियोजना क्षेत्र में मलेरिया, डेंगू, चिकिनगुनिया, जेई, फाईलेरिया आदि रोगों का कारण बनने वाले मच्छरों की पहचान, उनके प्रजनन और फैलाव को रोकने के उपायों के साथ आबादी के रक्त नमूने संग्रहित करने, उनका परीक्षण करने एवं आवश्यक होने पर उपचार संबंधी व्यवस्था की जाती है।



इंदिरा सागर सिंचाई परियोजना कमाण्ड क्षेत्र के गाँव में ग्रामीणों के रक्त नमूनों के संग्रहण का कार्य

आबादी में जलजनित और कीटजनित रोगों से सावधान रहने और परिवेश स्वच्छ रखने के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने की पहल भी स्वास्थ्य शिविर/स्टाल के माध्यम से की जाती है। इसके लिये परियोजना क्षेत्र में ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य सूचना शिक्षा और संचार के माध्यम से मुद्रित सामग्री का वितरण किया जाता है। क्षेत्रीय इकाईयों का अमला भ्रमण में परियोजना बांध और नहरों के आस-पास जल भराव को चिन्हित कर उन्हें समाप्त करने के लिये संबंधित इंजीनियरों को सुझाव प्रेषित करता है।

वर्ष 2018-19 में (माह अप्रैल से मार्च 2019 तक) तीनों इकाईयों द्वारा परियोजना अंचलों में भोपाल ने 419, इंदौर ने 435 तथा सनावद में 510 कुल 1364 गांवों का HIA सर्वे किया गया। अमले ने इस दौरान बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के 6200 रक्त नमूना संग्रहित किये व 1674 आर.डी.टी. किये, जिनका प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर 25 Pf एवं 52 Pv रक्त नमूने मलेरिया पॉजीटिव पाये गये। इन प्रकरणों में तत्कालिक इलाज भी उपलब्ध कराया गया।

स्वास्थ्य इकाई के अमलों ने पेयजल के 284 नमूनों का परीक्षण भी किया तथा 68 नमूनों में हानिकारक बैक्टीरिया पाया गया। कार्यवाही हेतु संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया गया।

स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता के लिये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस संबंध में जागरुक किया गया।

भाग – पांच

5.0 परियोजनाओं का वित्तीय प्रबंधन

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.टी.) के अवॉर्ड में उल्लेखित समय सीमा (वर्ष 2024) तक जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं में केन्द्रीय सहायता एवं नाबार्ड सहायता प्राप्त कर कार्य किए जा रहे हैं।

5.1 नाबार्ड ऋण सहायता

5.1.1 आर.आई.डी.एफ. (रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड)

वर्ष 2018-19 में आर.आई.डी.एफ. चरण 17 से आर.आई.डी.एफ. चरण 24 प्रचलन में है जिनके अंतर्गत कुल रु. 5499.36 करोड़ की नाबार्ड ऋण सहायता स्वीकृत है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रु. करोड़ में)

स.क्र.	परियोजना	स्वीकृत नाबार्ड सहायता
1	बरगी व्यपवर्तन परियोजना (नहरें)	745.60
2	इंदिरा सागर परियोजना (नहरें)	59.67
3	ओंकारेश्वर परियोजना (नहरें)	72.19
4	हालोन परियोजना	31.97
5	नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना	1966.67
6	चिंकी माइक्रो सिंचाई परियोजना	603.17
7	छैगांवमाखन एमआईपी	510.15
8	बिस्तान एमआईपी	349.35
9	अलीराजपुर एमआईपी	526.90
10	भीकनगांव-बिन्जलवाड़ा एमआईपी	633.69
	योग	5499.36

उक्त स्वीकृति के तहत मार्च 2019 तक रु. 3319.29 करोड़ आहरित कर लिये गए हैं।

5.1.2 एल.टी.आई.एफ. (लांग टर्म इरिगेशन फण्ड)

एआईबीपी में चल रही निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु केन्द्र सरकार की योजना एलटीआईएफ से ऋण लिया जा रहा है, इसके अंतर्गत ए.आय.बी.पी. परियोजनाओं की राज्यांश राशि भी केन्द्र की अनुशंसा पर नाबार्ड द्वारा ऋण के रूप में जारी की जाती है। प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिये कुल रु. 1840.78 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है (एआईबीपी रु. 1113.78 करोड़ एवं केड कार्य रु. 727.00 करोड़)।

वर्ष 2016-17 में रु. 365.00 वर्ष 2017-18 में रु. 47.43 करोड़, इस प्रकार कुल रु. 412.43 करोड़ की राशि एल.टी.आई.एफ. अंतर्गत विमुक्त कराई गई है। वर्ष 2018-19 में प्रेषित रु. 111.44 करोड़ के प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार में प्रक्रिया में है।

5.2 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

प्राधिकरण की इंदिरा सागर परियोजना (नहर), ओंकारशेवर परियोजना (नहर), बरगी व्यवर्तन परियोजना, अपर बेदा परियोजना, पुनासा उद्वहन, जोबट एवं लोअर गोई परियोजना भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत हैं। विगत वर्षों में एआईबीपी अन्तर्गत निम्नानुसार अनुदान राशि भारत सरकार द्वारा जारी की गई है :-

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार द्वारा जारी राशि (रु. करोड़ में)	
	एआईबीपी कार्यों हेतु	केड कार्यों हेतु
2014-15	96.01	निरंक
2015-16	127.53	25.98
2016-17	243.48	16.26
2017-18	106.46	निरंक
2018-19	81,03	14.94

भाग - छः

6.0 विभाग के विशेष प्रयास- नर्मदा जल के उपयोग हेतु अंतर-कछारीय सिंचाई परियोजनाएं

मध्यप्रदेश को आवंटित 18.25 एमएफ नर्मदा जल का समुचित उपयोग किया जा सके इस हेतु विभाग द्वारा मालवा क्षेत्र के आठ जिलों यथा इन्दौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, राजगढ़, मन्दसौर, रतलाम, धार एवं नीमच की कृषि योग्य भूमि में नर्मदा जल उद्वहन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

मालवा क्षेत्र का भू-जल स्तर अत्यंत नीचे चला गया है। विशेषकर मालवा क्षेत्र के उज्जैन, देवास, शाजापुर, इन्दौर, राजगढ़, मन्दसौर, नीमच एवं रतलाम क्षेत्र में जल की समस्या है। उक्त जिलों के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा औसत से कम होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में विशेषकर कृषि विकास की गति काफी कम है। अतः नर्मदा जल को क्षिप्रा, गंभीर, कालीसिंध एवं पार्वती के कछार में पहुंचाने हेतु 5 लाख 37 हजार हेक्टेयर की 7 परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की गई है एवं 3.37 लाख हेक्टेयर की 5 योजनाओं हेतु एजेंसी निर्धारण कर कार्य प्रारंभ हो गए हैं, शेष 2 योजनाएं आगामी चरण में ली जाएंगी। मालवा क्षेत्र की इन परियोजनाओं से सिंचाई, उद्योग तथा पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हेतु नर्मदा जल उपलब्ध होगा। सीमित भूमि की आवश्यकता होने के कारण यह परियोजनाएं कम समय में क्रियान्वित होने योग्य हैं एवं इन परियोजनाओं के निर्माण से नर्मदा नदी का मध्यप्रदेश के हिस्से का पानी अवॉर्ड में निर्धारित समय सीमा में उपयोग किया जा सकेगा।

6.1 नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना

इस क्रम में नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परियोजना के अंतर्गत ओंकारेश्वर परियोजना की नहर से 5 क्यूमेक्स जल का उद्वहन कर इन्दौर जिले के उज्जैनी ग्राम के पास क्षिप्रा नदी के उद्गम स्थल पर प्रवाहित किया गया। वर्ष 2016 में आयोजित सिंहस्थ महापर्व में परियोजना से क्षिप्रा नदी में विभिन्न पर्व स्नानों के लिये पर्याप्त जल प्रवाहित किया गया।

परियोजना से उज्जैन, देवास नगर की पेयजल समस्या का समाधान हो गया है। क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर बसे 250 से अधिक गांवों को पीने का पानी भी सुलभ होगा। समीपस्थ ग्रामों में भू-जल स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। उज्जैन, देवास, पीथमपुर क्षेत्र के उद्योगों को उपयोग के लिये जल प्रदाय किया जायेगा। प्रवाहमान क्षिप्रा के दोनों तटों से किसान अपने पम्पों से जल उद्वहन कर लगभग 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई कर रहे हैं।

6.2 नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना

नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी का जल ओंकारेश्वर नहर से उद्वहन कर गंभीर बेसिन में सिंचाई एवं पेयजल के लिये उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के अंतर्गत ओंकारेश्वर परियोजना दांयी तट नहर की आर.डी. 9.775 कि.मी. पर स्थित जंक्शन स्ट्रक्चर से 15 क्यूमेक्स जल 427 मीटर तक उद्वहन किया जायेगा। योजना से इन्दौर तथा उज्जैन जिलों में 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन जिलों की औद्योगिकी इकाइयों तथा नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 158 ग्रामों के लिये अपरिष्कृत जल भी उपलब्ध कराया जायेगा। योजना पूर्णता की ओर अग्रसर है।

6.3 नर्मदा कालीसिंध लिंक परियोजना चरण- 1 एवं 2

आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक योजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाना है। प्रथम चरण की योजना, सैंच्य क्षेत्र 1 लाख हेक्टेयर, लागत रु. 3489.82 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है एवं निर्माण कार्य टर्न-की आधार

पर पूर्ण करने हेतु एजेंसी निर्धारित है। कमाण्ड क्षेत्र देवास, शाजापुर एवं सीहोर जिले में है इन जिलों के 282 ग्रामों में सिंचाई होगी।

योजना अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना के जलाशय से 16.02 क्यूमेक्स क्षमता की 2 पाइप लाइन बिछाकर कुल 32.04 क्यूमेक्स पानी उद्वहन कर बागली तहसील के ग्राम टाण्डा के समीप कालीसिंध नदी के कछार में छोड़ा जाना है।



नर्मदा मालवा गंभीर लिंक योजना अंतर्गत गंभीर नदी पर पाइप लाइन क्रॉसिंग

आई.एस.पी. कालीसिंध लिंक योजना चरण-2, सैच्य क्षेत्र 1 लाख हेक्टेयर, लागत रु. 4407.52 करोड़ की भी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। कमाण्ड क्षेत्र राजगढ़ एवं शाजापुर जिले में है योजना से इन जिलों के 175 ग्रामों में सिंचाई का लाभ मिलेगा।

6.4 नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना चरण 1 से 4

नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना कुल 4 चरणों में विभाजित कर स्वीकृत की गई हैं। क्रियान्वयन चरणवार किया जा रहा है। परियोजना के चरण 1 एवं 2 का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। इसके अन्तर्गत कुल 1 लाख हेक्टेयर, लागत रु. 3415.30 करोड़ की योजना का निर्माण कार्य टर्न-की आधार पर पूर्ण करने हेतु एजेंसी निर्धारित है। योजना से सीहोर एवं शाजापुर जिलों में सिंचाई होगी। परियोजना का कमाण्ड क्षेत्र बांयी ओर नेवज नदी एवं पार्वती नदी के मध्य तथा दांयी ओर पार्वती नदी एवं कोलास नदी के मध्य है।

योजना अन्तर्गत इंदिरा सागर परियोजना के जलाशय से राईजिंग मेन डाली जाएगी एवं 32.04 क्यूमेक्स पानी 2 पाइप लाइन बिछाकर 295 मी. उद्वहन कर आष्टा तहसील जिला सीहोर के ग्राम सिंगारचोरी से पार्वती नदी के कछार में छोड़ा जायेगा। चरण 3 एवं 4, सैच्य क्षेत्र 1 लाख हेक्टेयर, लागत रु. 4131.68 करोड़ के लिये भी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है। शाजापुर एवं सीहोर जिलों में सिंचाई होगी।

6.5 नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना

इस परियोजना के अंतर्गत ओंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से 15.00 क्यूमेक्स पानी उद्वहन कर ग्राम काकूखेड़ी जिला इन्दौर के समीप लाकर छोड़ा जाना है। सिंचाई के लिये 10 क्यूमेक्स पानी एवं पेयजल तथा उद्योगों के लिये 5 क्यूमेक्स जल का उपयोग प्रस्तावित है। परियोजना से उज्जैन एवं शाजापुर, जिले के 162 ग्रामों में ड्रिप/स्प्रिंकलर पद्धति से 30 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी तथा देवास, उज्जैन, नागदा, मकसी, शाजापुर, घटिया, तराना क्षेत्रों को पेयजल एवं उद्योगों को भी जल उपलब्ध कराया जाएगा। निर्माण कार्य टर्न-की आधार पर पूर्ण करने हेतु एजेंसी निर्धारित है।

6.6 नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर परियोजना

नर्मदा का 15 क्यूमेक जल उद्वहन कर झाबुआ एवं धार जिलों में कुल 57422 हेक्टेर सिंचाई होगी। निर्माण कार्य टर्न-की आधार पर पूर्ण करने के लिये एजेंसी निर्धारित है।

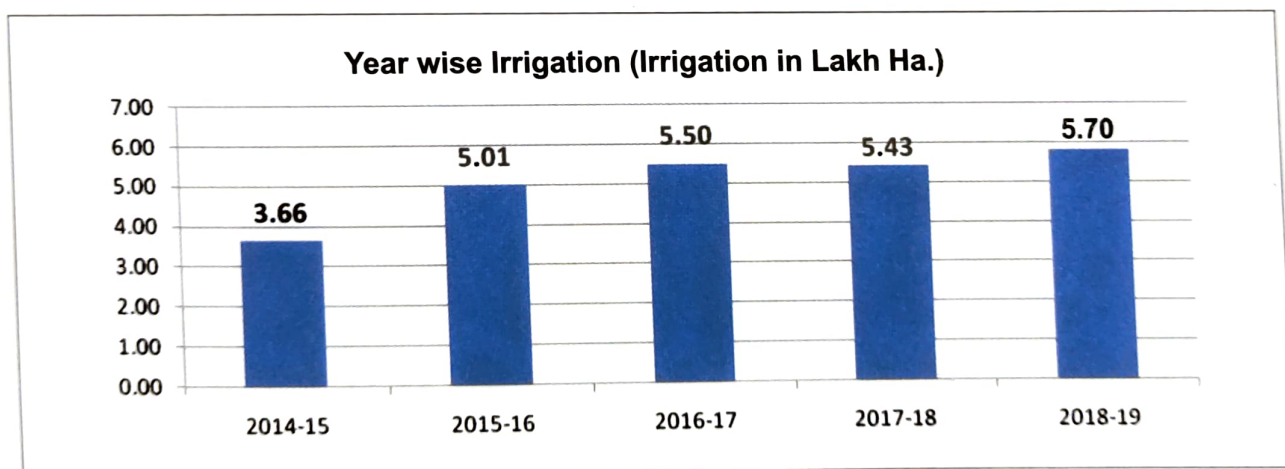
भाग - सात

7.0 उपलब्धि एवं भावी कार्यक्रम

7.1 सिंचाई की उपलब्धि

निर्मित तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं से वर्ष 2018-19 में 5 लाख 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना लक्षित था। मार्च 2019 तक 5 लाख 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई है वर्ष 2014-2015 से वर्ष 2018-2019 तक वास्तविक सिंचाई का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वास्तविक सिंचाई लाख हेक्टेयर में	3.66	5.01	5.50	5.43	5.70



वर्षवार वास्तविक सिंचाई का ग्राफिक प्रदर्शन (लाख हेक्टेयर में)

7.2 विद्युत उत्पादन

प्राधिकरण की जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का विवरण

विद्युत उत्पादन मिलियन यूनिट
राजस्व करोड़ रुपये

क्र	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता मेगावाट	विद्युत उत्पादन वर्ष 2018-19	संचयी विद्युत उत्पादन मार्च 2019 तक	संचयी राजस्व की प्राप्ति	रिमार्क
1.	इंदिरा सागर परियोजना नदी तल विद्युत गृह	1000	1309.22	35631.64	1774.23	<ul style="list-style-type: none"> ● एनएचडीसी के नियंत्रण में ● एनएचडीसी से डिस्ट्रिब्यूट के रूप में प्राप्त
2.	ओंकारेश्वर परियोजना नदी तल विद्युत गृह	520	612.01	12298.44		
3.	इंदिरा सागर परियोजना नहर शीर्ष विद्युत गृह	15	10.70	221.00	40.90	<ul style="list-style-type: none"> ● 135.91 मि.यू.- प्राधिकरण की पुनासा उद्वहन सिंचाई परियोजना में केप्टिव उपयोग हेतु ● 85.09 मि.यू.- म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी को विद्युत विक्रय से शासन को रु. 40.90 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ है।
4.	रानी अवन्तिबाई लोधी सागर नदी तल विद्युत गृह	90	345.20	13666.94	--	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी के नियंत्रण में
5.	रानी अवन्तिबाई लोधी सागर (बरगी) परियोजना नहर शीर्ष विद्युत गृह	10	0.00	75.67	34.47	म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी का विद्युत विक्रय से रु. 34.47 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ है।
6.	सरदार सरोवर परियोजना नदी तल तथा नहर शीर्ष विद्युत गृह	826.50 (म.प्र. अंश)	326.52	23608.82	4190.91	म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी को विद्युत विक्रय से रु. 4190.91 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ है।

7.3 बजट प्रावधान तथा व्यय

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा विगत 5 वर्ष में बजट प्रावधान एवं व्यय निम्नानुसार है-

(राशि रु. करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक अनुमान मिलाते हुए)	शासन से प्राप्त आवंटन	व्यय
1	2014-15	1586.36	1586.36	977.45
2	2015-16	2129.28	2129.28	1345.50
3	2016-17	2490.05	2490.05	1981.43
4	2017-18	3038.31	3038.31	2537.84
5	2018-19	3247.83	3246.84	3119.17

7.4 वचन पत्र में विभाग से संबंधित बिन्दुओं के परिपालन में की जा रही कार्यवाही

- मध्यप्रदेश को नर्मदा कछार का 18.25 एम.ए.एफ. जल आवंटित है। अब तक नर्मदा घाटी विकास तथा जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित परियोजनाओं से संयुक्त रूप से 15.61 एम.ए.एफ. जल का उपयोग करने की व्यवस्था कर ली गई है। शेष जल का उपयोग आगामी 5 वर्ष की अवधि में सुनिश्चित करने के लिये कार्ययोजना पर अमल किया जा रहा है।
- नर्मदा नदी के दोनों तटों पर स्थानीय मांग तथा आवश्यकतानुसार घाट निर्माण की कार्ययोजना पर अमल किया जा रहा है। वर्तमान में 5 घाटों का कार्य निर्माणाधीन है। अन्य 21 घाटों का निर्माण स्वीकृत किया गया है। इनके अतिरिक्त 22 पुराने घाटों को संधारण के लिये चिन्हित किया गया है।
- नर्मदा घाटी की बांध परियोजनाओं में प्रभावी जल प्रबंधन के लिये स्थानीय किसानों की भागीदारी से 251 जल उपभोक्ता संथाये गठित की गई हैं। जल उपभोक्ता संथाओं को मैदानी स्तर पर विभागीय अमला सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- नर्मदा घाटी विकास की सिंचाई बांध परियोजना जलाशयों की डूब से अनेक प्राचीन मंदिर/धार्मिक संरचनायें प्रभावित हुये हैं। एक वृहद कार्ययोजना के अंतर्गत सभी परियोजनाओं की डूब से प्रभावित महत्वपूर्ण मंदिरों/पुरातत्व संरचनाओं का डूब पूर्व विस्थापन कर उन्हें उसी स्वरूप में सुरक्षित स्थानों पर पुनर्स्थापित किया गया है। पुनर्वास स्थलों पर नये मंदिरों के निर्माण के लिये जन समितियां गठित की गई हैं। समितियों की देखरेख में निर्माण कार्य किये जा रहे हैं।
- बरगी डायवर्जन परियोजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सुरंग के निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय निगरानी की जा रही है। सुरंग निर्माण को गति देने के लिये तकनीकी जटिलताओं का समाधान खोजने तकनीकी विशेषज्ञों से सुझाव लिये जा रहे हैं। एक्सपर्ट पेनल का गठन किया गया, जिसमें केन्द्रीय जल आयोग, जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया एनएचएआई एवं सीएसएमआरएस के एक्सपर्ट लिये गये हैं।

भाग - आठ

8.1 जल उपयोग के लिये विभाग की नवाचारी रणनीति

नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश को नर्मदा कछार में उपलब्ध कुल जल का 18.25 एम.ए.एफ. अंश आवंटित किया गया है। न्यायाधिकरण अवॉर्ड अनुसार आवंटित जल का सिंचाई कार्यों में उपयोग 45 वर्ष अवधी अर्थात् वर्ष 2024 तक सुनिश्चित करना है। नए भू-अर्जन प्रावधानों के कारण वृहद बांध परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन करना कठिन हो गया है एवं परियोजनाओं की लागत भी बहुत अधिक हो रही है। इन परिस्थितियों में नर्मदा घाटी विकास विभाग ने जल उपयोग के लिये वैकल्पिक नवाचारी रणनीति पर कार्य करना आरंभ किया है। इस रणनीति के अन्तर्गत वृहद परियोजना जलाशयों, परियोजना की मुख्य नहरों, नदी प्रवाह से जल उदवहन कर माइक्रो सिंचाई प्रणाली से सिंचाई क्षेत्र विस्तार किया जाएगा।

इससे बांध परियोजनाओं के लिये आवश्यक भूमि अधिग्रहण और उससे जुड़ी समस्याओं के निराकरण में लगने वाले लंबे समय से बचते हुये कम समय में सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा। वृहद बांध परियोजना की नहरों में ऊंची भौगोलिक स्थिति के कारण सिंचाई से वंचित क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा।

विभाग द्वारा ओंकोरेश्वर परियोजना एवं इंदिरा सागर परियोजना की नहरों एवं जलाशय से जल का उदवहन कर योजनाएं क्रियान्वित करने का नवाचार प्रारंभ किया गया है। इस अनुक्रम में 33 उदवहन माइक्रो सिंचाई योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की गई है। इनमें से 25 योजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। तकनीकी उपयुक्ता के आधार पर नर्मदा नदी से सीधे भी पानी उठाकर योजनाएं बनाई गई हैं जिनमें बांध नहीं बनाया जाएगा।

समग्र रूप से प्राधिकरण के अन्तर्गत माइक्रो उदवहन सिंचाई परियोजनाएं निम्नानुसार हैं -

क्र.	योजना का नाम	लागत रु. करोड़	सिंचाई क्षमता हेक्टे.	लाभान्वित जिला	लाभान्वित तहसील
1	2	3	4	5	6
1*	नर्मदा मालवा गंभीर लिंक	2187.21	50000	इंदौर, उज्जैन	महू, देपालपुर, सावेर, उज्जैन, घटिया, खाचरोद, बड़नगर
2*	बलवाड़ा एमआईपी	53.00	5000	खरगोन	बड़वाह, महेश्वर
3*	छैगांवमाखन एमआईपी	784.10	35000	खण्डवा	खण्डवा, पंधाना
4*	बिस्टान एमआईपी	515.10	22000	खरगोन	गोगांवा, भगवानपुरा, खरगोन
5*	अलीराजपुर एमआईपी	833.35	35000	अलीराजपुर	अलीराजपुर, जोबट, सोण्डवा, भांभरा, कट्ठीवाड़ा
6*	हरसूद एमआईपी	113.41	5648	खण्डवा	हरसूद
7*	छीपानेर एमआईपी	516.11	35000	सीहोर, देवास	नसरुल्लागंज, खातेगांव

1	2	3	4	5	6
लागत रु. करोड़	सिंचाई क्षमता हेक्टे.	लाभान्वित जिला	लाभान्वित तहसील		
8*	अम्बा रोड़िया उद्वहन	138.29	9915	खरगोन	
9*	चोंडी जामनिया एमआईपी	68.36	4000	खरगोन	सनावद, भीकनगांव, कसरावद
10*	बलकवाड़ा एमआईपी	123.96	9000	खरगोन	भीकनगांव, कसरावद
11*	सिमरोल, अम्बाचन्दन	59.13	4000	इन्दौर	कसरावद
12*	ढीमरखेड़ा एमआईपी	256.16	15000	कटनी	महू
13*	जावर एमआईपी	466.91	26000	खण्डवा	ढीमरखेड़ा
14*	भीकनगांव बिन्जलवाड़ा एमआईपी	745.00	50000	खरगोन, खण्डवा	खण्डवा
15*	पुनासा विस्तार	20.00	975	खण्डवा	सनावद, भीकनगांव, झिरन्या, खण्डवा, पंधाना
16*	आईएसपी कालीसिंध चरण 1	3489.82	100000	देवास, शाजापुर, सीहोर	पुनासा
17*	आईएसपी कालीसिंध चरण 2	4407.52	100000	शाजापुर, राजगढ़,	देवास, सोनकच्छ, हाटपिपलिया, शुजालपुर, आष्टा
18*	नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना	2215.64	30000	उज्जैन, शाजापुर	सारंगपुर, शुजालपुर, शाजापुर
19*	नर्मदा पार्वती लिंक चरण 1 एवं 2	3415.30	100000	सीहोर, शाजापुर	शाजापुर
20	नर्मदा पार्वती लिंक चरण 3 एवं 4	4131.68	100000	शाजापुर, सीहोर	आष्टा, इच्छावर
21	चिंकी एमआईपी	1494.64	104000	नरसिंहपुर, रायसेन	कालापीपल, अवंतीपुर, बड़ोदिया, शुजालपुर, इच्छावर, सीहोर
22*	भुरलाय एमआईपी	29.75	1480	खण्डवा	नरसिंहपुर, करेली, तेन्दूखेड़ा, उदयपुरा, बरेली
23*	किल्लौद एमआईपी	140.57	10000	खण्डवा	पुनासा
					हरसूद

क्र.	योजना का नाम	लागत रु. करोड़	सिंचाई क्षमता हेक्टे.	लाभान्वित जिला	लाभान्वित तहसील
1	2	3	4	5	6
24*	पामाखेड़ी एमआईपी	22.69	1080	खण्डवा	पुनासा
25*	कोदवार एमआईपी	69.61	3660	खण्डवा	पुनासा
26	पिपरी एमआईपी	293.18	17000	खरगोन	खरगोन
27*	नागलवाड़ी एमआईपी	1173.03	47417	बड़वानी, खरगोन	राजपुर, ठीकरी, सेगांव, खरगोन
28	पाटी एमआईपी	128.85	5500	बड़वानी	पाटी
29*	नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद-थांदला- सरदारपुर एमआईपी	2050.70	57422	झाबुआ, धार	झाबुआ,पेटलावद,थांदला, सरदारपुर
30	रानी दुर्गावती एमआईपी	24.16	1200	जबलपुर	जबलपुर
31	खालवा एमआईपी	1103.28	50000	खण्डवा	खालवा
32	बदनावर एमआईपी	1520.92	50000	धार	बदनावर एवं धार
33	डही एमआईपी	1127.82	47000	धार, अलीराजपुर	डही, कुक्षी, जोबट, सोंडवा
	योग	33719.25	1132297		

★ तारांकित परियोजनाओं की निर्माण एजेंसी निर्धारित होकर निर्माण जारी।



नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल मंत्रालय में
परियोजनाओं के निर्माण की समीक्षा करते हुए (28 जनवरी 2019)।



महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित 'महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित' कार्यक्रम का समापन (सोमवार 4 फरवरी, 2019)